# PART-II HARYANA GOVERNMENT

## LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

## Notification

The 2nd September, 2022

**No. Leg.29/2022.**— The following Ordinance of the Governor of Haryana promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, on the 01st September, 2022 is hereby published for general information:-

## HARYANA ORDINANCE NO. 1 OF 2022

## THE HARYANA PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ORDINANCE, 2022

### AN

# **ORDINANCE**

further to amend the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

Promulgated by the Governor of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India.

Whereas the Legislature of the State of Haryana is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby promulgates the following Ordinance:-

1. This Ordinance may be called the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2022.

Short title

- 2. In section 9 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter called the principal Act),-
  - (a) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:-
    - "(4) The wards of panch shall be reserved for the Backward Classes (A) in every Gram Panchayat and the number of wards so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of wards in that Gram Panchayat as one-half of the percentage of population of Backward Classes (A) to the total population in that Gram Sabha area and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more and such wards shall be allotted by draw of lots among the wards other than that reserved for Scheduled Castes and also by rotation in the subsequent elections:

Provided that every Gram Panchayat shall have at least one panch belonging to the Backward Classes (A) if its population is two percent or more of the total population of the sabha area and such ward shall be allotted by draw of lots among the wards other than that reserved for Scheduled Castes and also by rotation in the subsequent elections:

Provided further that where the number of wards so reserved for Backward Classes (A) under this sub-section added to the number of wards reserved for the Scheduled Castes exceeds fifty percent of the total number of wards in that Gram Panchayat, then the number of wards reserved for the Backward Classes (A) shall be restricted to such largest number that shall lead to the total of the wards reserved for the Backward Classes (A) and Scheduled Castes not exceeding fifty percent of the total wards in that Gram Panchayat.

Explanation.- For the purposes of reservation of Backward Classes (A) under this sub-section, the population of the Gram Sabha area and the population of Backward Classes (A) in said sabha area shall be such, as may be drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021), on such date, as may be notified by the Government."

Amendement of section 9 of Haryana Act 11 of 1994.

(b) for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(7) Eight percent of the total number of offices of Sarpanch in a block and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more shall be reserved for Backward Classes (A) and shall be allotted by draw of lots among the highest three times the number of Gram Panchayats proposed for reservation for Backward Classes (A) which are having the largest percentage of population of Backward Classes (A) after excluding those Gram Panchayats where the post of Sarpanch is already reserved for Scheduled Castes under sub-section (5) and also by rotation in the subsequent elections:

Provided that where the number of offices of Sarpanch in a block so reserved for Backward Classes (A) under this sub-section added to the number of offices of Sarpanch reserved for the Scheduled Castes in that block exceeds fifty percent of the total number of offices of Sarpanch in that block, then the number of offices of Sarpanch reserved for the Backward Classes (A) shall be restricted to such largest number that shall lead to the total of the offices of Sarpanch reserved for the Backward Classes (A) and Scheduled Castes not exceeding fifty percent of the total offices of Sarpanch in that block.

Explanation.- For the purposes of reservation of Backward Classes (A) under this sub-section, the population of the block and the population of Backward Classes (A) in said block shall be such, as may be drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021), on such date, as may be notified by the Government."

Amendment of section 59 of Haryana Act 11 of 1994.

- 3. For sub-section (4) of section 59 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-
  - "(4) The wards of member shall be reserved for the Backward Classes (A) in every Panchayat Samiti and the number of wards so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of wards in that Panchayat Samiti as one-half of the percentage of population of Backward Classes (A) to the total population in that block and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more and such wards shall be allotted by draw of lots among the wards other than that reserved for Scheduled Castes and also by rotation in the subsequent elections:

Provided that where the number of wards of Panchayat Samiti so reserved for Backward Classes (A) added to the number of wards reserved for the Scheduled Castes exceeds fifty percent of the total number of wards in that block, then the number of wards reserved for the Backward Classes (A) shall be restricted to such largest number that lead to the total of the wards reserved for the Backward Classes (A) and Scheduled Castes not exceeding fifty percent of the total number of wards in that Panchayat Samiti.

Explanation.- For the purposes of reservation of Backward Classes (A) under this sub-section, the population of the block and the population of Backward Classes (A) in said block shall be such, as may be drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021), on such date, as may be notified by the Government."

Amendment of section 120 of Haryana Act 11 of 1994.

- **4.** For sub-section (4) of section 120 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-
  - "(4) The wards of member shall be reserved for the Backward Classes (A) in every Zila Parishad and the number of wards so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of wards in that Zila Parishad area as one-half of the percentage of population of Backward Classes (A) to the total population in that Zila Parishad area and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more and shall be allotted by draw of lots among the highest three times of the number of wards of Zila Parishad proposed for reservation of Backward Classes (A) which are having the largest percentage population of Backward Classes (A) after excluding those wards of Zila Parishad already reserved for Scheduled Castes and also by rotation in the subsequent elections:

Provided that where the number of wards of Zila Parishad so reserved for Backward Classes (A) under this sub-section added to the number of wards reserved for the Scheduled Castes exceeds fifty percent of the total number of wards in that Zila Parishad, then the number of wards of Zila Parishad reserved for the Backward Classes (A) shall be restricted to such largest number that shall lead to the total of the wards reserved for the Backward Classes (A) and Scheduled Castes not exceeding fifty percent of the total number of wards in that Zila Parishad.

Explanation.- For the purposes of reservation of Backward Classes (A) under this sub-section, the population of the Zila Parishad area and the population of Backward Classes (A) in said area shall be such, as may be drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021), on such date, as may be notified by the Government."

CHANDIGARH: THE 01<sup>ST</sup> SEPTEMBER, 2022

BANDARU DATTATRAYA GOVERNOR OF HARYANA

BIMLESH TANWAR, Administrative Secretary to Government, Haryana, Law and Legislative Department.

9865-L.R.-H.G.P., Pkl.



# Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana No. 170-2022/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2022 (29 भाद्र, 1944 शक)		
क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (2022 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1) (केवल हिन्दी में)	5-7
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 75 / ह॰अ॰ 11 / 1994 / धा॰ 209 / 2022, दिनांक २० सितम्बर, 2022 —हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2022.	733—751
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

## भाग-II

## हरियाणा सरकार

## विधि तथा विधायी विभाग

# अधिसूचना

# दिनांक 20 सितम्बर, 2022

संख्या लैज.29/2022.— दि हरियाणा पंचायती राज (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2022, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 16 सितम्बर, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4—क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2022 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2022 हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994, को आगे संशोधित करने के लिए अध्यादेश

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :--

1. यह अध्यादेश हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2022, कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम।

- 2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 में,—
  - (क) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"(4) प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्गों (क) के लिए पंच के वार्ड आरक्षित किए जाएंगे तथा इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, उस ग्राम पंचायत में वार्डों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी, जो उस ग्राम सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या की प्रतिशतता का आधा होगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएंगी तथा ऐसे वार्ड, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित से मिन्न वार्डों में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे:

परन्तु प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्गों (क) से सम्बन्धित कम से कम एक पंच होगा, यदि इसकी जनसंख्या सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत या उससे अधिक है, और ऐसा वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित से भिन्न वार्डों में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा और उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के लिए इस प्रकार आरिक्षित वार्डों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरिक्षित वार्डों की संख्या जोड़े जाने पर, उस ग्राम पंचायत में वार्डों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरिक्षित वार्डों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्वन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों (क) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरिक्षित वार्डों की कुल संख्या, उस ग्राम पंचायत में कुल वार्डों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.— इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, ग्राम सभा क्षेत्र की जनसंख्या तथा उक्त सभा क्षेत्र में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।"।

1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 9 का संशोधन। (ख) उपधारा (७) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(7) किसी खण्ड में सरपंच के पदों की कुल संख्या का आठ प्रतिशत तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी, पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित होगा तथा उन ग्राम पंचायतों, जहां सरपंच का पद उपधारा (5) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए पहले से ही आरक्षित है, को निकालने के बाद, में पिछड़े वर्गों (क), जिनमें पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, के लिए आरक्षण हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की अधिकतम तीन गुणा संख्या में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे :

परन्तु जहां इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के लिए इस प्रकार आरक्षित सरपंच के पदों की संख्या अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सरपंच के पदों की संख्या जोड़े जाने पर, उस खण्ड में सरपंच के पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित सरपंच के पदों की संख्या ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्वन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों (क) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सरपंच के पदों की कुल संख्या, उस खण्ड में सरपंच के कुल पदों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.— इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, खण्ड की जनसंख्या तथा उक्त खण्ड में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।"।

1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 59 का संशोधन।

- 3. मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
  - "(4) प्रत्येक पंचायत समिति में पिछड़े वर्गों (क) के लिए सदस्य के वार्ड आरक्षित होंगे तथा इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, उस पंचायत समिति में वार्डों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी, जो उस खण्ड की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या की प्रतिशतता का आधा होगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी तथा ऐसे वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित से भिन्न वार्डों में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे:

परन्तु जहां पिछड़े वर्गों (क) के लिए इस प्रकार आरक्षित पंचायत समिति के वार्डों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या जोड़े जाने पर, उस खण्ड में वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्वन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों (क) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.— इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, खण्ड की जनसंख्या तथा उस खण्ड में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।"।

1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 120 का संशोधन।

- 4. मूल अधिनियम की धारा 120 की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः—
  - "(4) प्रत्येक जिला परिषद् में पिछड़े वर्गों (क) के लिए सदस्य के वार्ड आरक्षित होंगे तथा इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, उस जिला परिषद् क्षेत्र में वार्डों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी, जो उस जिला परिषद् क्षेत्र की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या की प्रतिशतता का आधा होगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 अथवा उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णोंक में पूर्णोंकित की जाएगी तथा अनुसूचित जातियों के लिए पहले से ही आरक्षित जिला परिषद् के उन वार्डों को निकालने के बाद, पिछड़े वर्गों (क), जिनमें पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, के आरक्षण हेतु प्रस्तावित जिला परिषद् के वार्डों की अधिकतम तीन गुणा संख्या में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आवंटित किए जाएंगे:

परन्तु जहां इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के लिए इस प्रकार आरक्षित जिला परिषद् के वार्डों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या को जोड़ने पर, उस जिला परिषद् में वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित जिला परिषद् के वार्डों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों (क) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कुल वार्डों की संख्या, उस जिला परिषद् में वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.— इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, जिला परिषद् क्षेत्र की जनसंख्या तथा उक्त क्षेत्र में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।"।

चण्डीगढः

दिनांक: 16 सितम्बर, 2022.

बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल, हरियाणा।

बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

9888-L.R.-H.G.P.; Pkl.